भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2761**
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

**विषयः ऋण गारंटी योजना**
**2761. श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या विशेषकर हाथरस जिले की कृषि पारिस्थितिकी में छोटे और बड़े, दोनों हितधारकों को समग्र सहायता पहुंचाने के लिए हाल ही में प्रस्तावित ईएनडब्ल्यूआर-आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए ऋण गारंटी योजना की विशेषताएं क्या हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) और (ख): खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट (ई-एन.डब्ल्यू.आर.) आधारित प्लेज फाइनैंसिंग (सी.जी.एस.-एन.पी.एफ.) के लिए ऋण गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य बैंकों को भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.) द्वारा पंजीकृत गोदामों में संग्रहीत कृषि/बागवानी उपज पर किसानों और व्यापारियों को ई-एन.डब्ल्यू.आर. के सापेक्ष प्लेज फाइनैंस प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस योजना से फसलोपरांत वित्त पोषण में वृद्धि होने तथा कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि होने की उम्मीद है जिससे मजबूरन बिक्री से बचा जा सकेगा तथा कृषि उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा।

यह योजना, हाथरस जिले सहित भारत के सभी भागों में तथा योजना के दिशा-निर्देशों के अधीन जनसंख्या के सभी वर्गों पर लागू है।

(ग): उपरोक्त (क) एवं (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

*****